सख्या:-114/2021/672/23-5-21-67(10)ईजी/04टीसी

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2021**

विषय: भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन को दिनांक 15 से 20 अप्रैल, 2022 तक लखनऊ, उ0प्र0 में आयोजित किये जाने के लिये Steering Committee के सदस्यों को नामित किये जाने एवं Local Organising Secretary नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-84/13प्रशि0(टी0सी0)/बी0डी0डी0-12/2008, दिनांक 11.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन के लिये शासनादेश सं0-19/2020/276/23-5-20-67(10)ई जी/04टीसी, दिनांक 05.03.2020 द्वारा Steering Committee के सदस्यों एवं Local Organising Secretary को नामित किया गया था। उक्त कमेटी के कतिपय सदस्यों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के दृष्टिगत उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए दिनांक 15 से 20 अप्रैल, 2022 तक लखनऊ, उ0प्र0 में आयोजित किये जाने के लिये Steering Committee के सदस्यों एवं Local Organising Secretary को निम्नवत नामित किया जाता है :-

(1) **Steering Committee -**

(1) श्री समीर वर्मा, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।**(अध्यक्ष)**
(2) श्री राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
(3) श्री जितेन्द्र कुमार बांगा, मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।**(पदेन)**
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।**(पदेन)**

(2) **Local Organising Secretary -**

(1) श्री अशोक कनौजिया, मुख्य अभियन्ता(रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-114/2021/672(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महासचिव, भारतीय सड़क कांग्रेस, कामा कोटि मार्ग, आर0के0 पुरम, नई-दिल्ली को उनके पत्र सं0-आई0आर0सी0-5(2)/2019, दिनांक 18.08.2021 के क्रम में।
2- Steering Committee के सदस्यों एवं Local Organising Secretary को सूचनार्थ प्रेषित।
3- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in